संख्या- 07/2020/59/22-4-2020-48(32)/07

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रताप पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 07 फरवरी, 2020

विषय- निर्माणाधीन जिला कारागार, प्रयागराज के निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2460/नम-2/140/भाग-2/2017, दिनांक-29.01.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्माणाधीन जिला कारागार, प्रयागराज के निर्माण की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-116/2015/332/22-4-15-48(32)/07, दिनांक 15.05.2015 द्वारा रू0 16011.29 लाख की लागत पर प्रदान की गयी थी। सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल प्रश्नगत निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु रू0 17333.28+जी0एस0टी0 (रूपया एक अरब तिहत्तर करोड़ तैंतीस लाख अट्ठाइस हजार मात्र+जी0एस0टी) की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रायोजना की लागत रू0 50.00 करोड़ से अधिक होने के कारण कन्टीजेन्सी 1 प्रतिशत अनुमन्य है।

(2) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा।

(4) प्रायोजना में प्रस्तावित वायरलेस, वाकी-टाकी सिस्टम, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, एक्स-वैगेज, स्कैनर, सी0सी0टी0वी0, ई0पी0ए0बी0एक्स सिस्टम, पी0ए0 सिस्टम तथा किचेन इक्यूपमेन्ट की लागत को सम्मिलित नहीं किया गया है।

(5) अनुमोदित लागत में जी0एस0टी0 अनुमन्य नहीं की गयी है। जी0एस0टी0 की धनराशि यथावश्यक कार्य मदों पर नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) प्रायोजना अन्तर्गत डी0जी0सेट, फायर फाइटिंग इक्यूपमेन्ट एवं ट्रान्सफार्मर का प्राविधान किया गया है। इनके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

(7) पुनरीक्षित प्रयोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यों की लागत को प्रायोजना की आंकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को आंकलित किया गया है, उसका समस्त दायित्व महानिरीक्षक कारागार/कार्यदायी संस्था का होगा।

(8) लागत का आंकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की **द्विरावृत्ति** को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(10) कार्ययोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/ क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि उच्च अनुमोदन के प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(11) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा अगस्त, 2020 में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(13) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(14) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(15) चालू कार्य के रूप में स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(16) भविष्य में पुनरीक्षित आगणन के आधार पर अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(17) प्रश्नगत निर्माण कार्य में वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय गर्वमेन्ट ई मार्केटप्लेस (gem)/ई-टेन्डरिंग के माध्यम से किया जायेगा।

3- प्रश्नगत योजनाओं की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 15.05.2015 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- ई0-12-280/दस/2020, दिनांक- 04 फरवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेन्द्र प्रताप पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-07/2020/59(1)/22-4-2020-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, प्रयागराज।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।